वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) डुंकेल दस्तावेज में कृषि क्षेत्र में आर्थिक सहायता समाप्त करने संबंधी परिकलन के लिए आधार वर्ष 1986 से 1988 तक का औसत माना जाता है।

(ख) वर्ष 1986-89 के दौरान प्रमुख कृषि वस्तुओं के आयात और निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) सरकार द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि प्रमुख कृषि उत्पादकों द्वारा प्रतियोगी आर्थिक सहायता में कमी किये जाने से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि होगी जिससे भारत सहित उन देशों के लिए अवसर उत्पन्न होंगे जो कृषि उत्पादों का निर्यात करते हैं। जहां तक आयातों का संबंध है जब तक भारत की भुगतान संतुलन की समस्या है, तब तक आयात की मात्रा को नियंत्रित करना संभव रहेगा।

भारत के प्रमुख कृषि उत्पादों के आयात

(करोड़ रु०)

वस्तु	1986-87	1987-88	1988-89
गेहूं	37.27	8.99	433.08
चावल	0.99	2.15	230.64
चीनी	205.24	193.07	0.13
खाद्य तेल	611.96	968.77	729.70
दाले	—	250.99	384.91
अपरिष्कृत ऊन	55.87	131.87	157.48

विवरण

भारत के प्रमुख कृषि वस्तुओं के निर्यात

(करोड़ रू०)

वस्तु	1986-87	1987-88	1988-89
चाय	576.78	601.18	609.41
काफी	296.70	261.55	293.52
चावल	197.33	338.60	331.44
मसाले	279.03	336.56	275.09
चीनी और शीरा	1.44	1.17	9.67
तम्बाकू अविनिर्मित	145.36	107.71	100.40

स्रोतः 1. एग्रीकल्चरल-स्टैटिस्टिक्स ऐट ग्लांस, कृषि मत्रांलय

2. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, वाणिज्य मंत्रालय

Minimum Guarantee price for FCV Tobacco

753. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what is the minimum guarantee price fixed for F.C.V Tobacco;

(b) what is the manner in which its price is fixed; and

(c) what steps have been taken to implement the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS, AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTERY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) The Minimum Guaranteed price (MGP) fixed for the 1992-93. Andhra Pradesh crop of FCV tobacco to be marketed in 1993 is given below:-

FCV tobacco produced in	MGP (Rs/Kg)
Black cotton soils	20.00
Southern light soils	22.00
Northern light soils	25.00

(b) and (c) MGP has no statutory support, and is in the nature of an assurance from the trade to the growers of tobacco. The Tobacco Board monitors the grade outturn of the crop brought to the auction plantforms and the average prices paid at the platforms located in different soil regions. Since inception of MGP in 1988, the average floor prices realised by the growers every year have been above the MGP.

डुंकेल-प्रस्तावों पर निर्णय

754. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डुंकेल के प्रस्तावों के गुण-दोष क्या-क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा डुंकेल प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए भारत पर बार-बार दबाव डाला जा रहा है; और

(ग) इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है?

वाणिज्य मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ग) डुंकेल दस्तावेज की कुछ महत्वपूर्ण सुस्पष्ट सकारात्मक विशेषताएं हैं:—

(1) इसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शासित करने के लिए विस्तृत नियमों की व्यवस्था करके बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सुदृढ़ करने की कोशिश है। कई पहलुओं से इन नियमों में विकासशील देशों के लिए विशेष व्यवस्था है।

(2) इसमें कृषि के क्षेत्र में आर्थिक-सहायता तथा अन्य व्यापार-अवरोधों में कमी कृषि-उत्पादों के लिए विश्व भर में बाजार पहुंच में वृद्धि करने की व्यवस्था की गई है।

(3) इसमें विश्व-व्यापार में दस वर्षों के सीमित समय-ढांचे के भीतर वस्त्र और कपड़ों के समेकन के लिए व्यवस्था की गई है।

(4) सेवाओं में व्यापार से संबंधित प्रस्तावित करार में अन्य बातों के साथ-साथ कार्मिकों के आवागमन के क्षेत्र में समझौता सम्बन्धी रियायतों के लिए बहुपक्षीय ढांचे की व्यवस्था की गई है।

(5) ट्रिप्स में जिन देशों को कुछ क्षेत्रों में ऐसे पेटेन्ट प्रदान नहीं किए गए हैं, उन मामलों में उत्पाद पेटेंट शुरू करने के लिए 10 वर्ष की संक्रमण अवधि की व्यवस्था की गई है।

(6) कुछ अस्पष्ट विशेषताएं ये हैं:—

(1) एंटी-डंपिंग सम्बन्धी नियमों में पर्याप्त रूप से सुधार नहीं किया गया है।

(2) वस्त्रों के मामले में फेस-आऊट की प्रक्रिया को बाद के वर्षों में तेजी करने की व्यवस्था है।

(3) कृषि के क्षेत्र में कुछ संदिग्धताएं हैं जिन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है।

(4) ट्रिप्स के मामले में पेटेन्ट के क्षेत्र में विशेष रूप से खाद्य और भेषजीय के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग के संबंध में पर्याप्त लचीलेपन की व्यवस्था नहीं की गई है। यह दस्तावेज पेटेंटों के कार्यचालन के रूप में आयात के व्यवहार के बारे में भी स्पष्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त, जहां एक ओर दस्तावेज पौधों और पशुओं को पेटेंटों से मुक्त रखने की अनुमति देता है। वहां यह सूक्ष्म-जीवों के पेटेंट की अनुमति देता है।

(5) जहां तक बदले की कार्रवाई का संबंध है, आंतरिक कानूनों को जो आर्थिक कारणों के लिए एकपक्षीय प्रतिकार को प्राधिकृत करते हैं रद्द करने की बाध्यता नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि तथा विश्व बैंक ने डुंकेल प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए भारत पर कोई दबाव नहीं डाला है।

इस विषय पर विचार-विमर्शों से निष्कर्ष नहीं निकलने के कारण सरकार ने डुंकेल पैकेज पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।